पटना, 8 नवंबर 2017 | 10
दैनिक जागरण
www.jagran.com

बिहार सरकार

कृषि विभाग

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), बिहार, पटना

किसान भाइयों/बहनों के लिए आवश्यक सूचना

आत्मा योजना अंतर्गत किसान पुरस्कार कार्यक्रम हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण

सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) 2017–18 के तहत किसान पुरस्कार कार्यक्रम अंतर्गत संकर धान, गेंहूँ, आलू, गाय पालन (क्रॉस ब्रीड) एवं मत्स्य पालन प्रक्षेत्र में पुरस्कृत करने हेतु किसानों के चयन के लिए इच्छुक किसान भाइयों/बहनों से ऑन–लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. किसान अपना ऑन लाइन आवेदन पत्र परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रखंड अंतर्गत ई–किसान भवन/वसुधा केन्द्र एवं अन्य जगहों से भी भर सकते है। एक किसान एक से अधिक प्रक्षेत्र के लिए भी आवेदन पत्र दे सकते हैं।
2. ऑन लाईन आवेदन पत्र **www.bameti.org** अथवा **www.krishi.bih.in** के पोर्टल पर जाकर भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी "आत्मा योजना अंतर्गत किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2017–18 के लिए आवेदन पत्र" पर क्लिक कर उपर्युक्त साईट/पोर्टल पर अपना आवेदन पत्र भरेंगे।
3. किसान पुरस्कार खरीफ मौसम में संकर धान, रबी मौसम में गेहूँ, आलू, गायपालन (क्रॉस ब्रीड) तथा मत्स्यपालन कुल 05 व्यवसाय/प्रक्षेत्र के लिए दिया जाएगा। किसानों के चयन का आधार संबंधित प्रक्षेत्र में प्रति इकाई केवल अधिकतम उत्पादकता रखी गई है।
4. उपर्युक्त प्रत्येक प्रक्षेत्र/व्यवसाय में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रखंड स्तर पर 01–01, जिला स्तर पर 01–01 तथा राज्य स्तर पर 01–01 किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को समारोह आयोजित कर निम्न रूपों में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा–

क्र0सं0	स्तर	पुरस्कार का विवरण (प्रति किसान)			पुरस्कार की कुल संख्या
		नगद	प्रशस्ति पत्र	पुरस्कार का प्रकार	
1.	प्रखंड	10,000 रू0	01 अदद	किसान श्री	534x5= 2670
2.	जिला	25,000 रू0	01 अदद	किसान गौरव	38x5=190
3.	राज्य	50,000 रू0	01 अदद	किसान श्रेष्ठ	05

5. किसान पुरस्कार हेतु शर्त्तें, किसान की पात्रता तथा आवेदन देनें एवं चयन की प्रक्रिया कृषि विभाग के वेबसाईट **www.krishi.bih.in** अथवा बामेती के वेबसाईट **www.bameti.org** पर उपलब्ध है। इसे संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
6. धान फसल में ऑन लाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि 30.11.2017, आलू फसल में ऑन लाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि 15.12.2017 तथा गेंहूँ फसल में ऑन लाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि 31.01.2018 निर्धारित की गई है। पशुपालन एवं मत्स्यपालन में ऑन लाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि 28.02.2018 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
7. धान/गेंहूँ/आलु/गाय पालन (क्रॉस ब्रीड)/मत्स्यपालन में आवेदक द्वारा संसूचित परिपक्वता तिथि के अनुसार उत्पादकता मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच कर उत्पादकता निर्धारित की जाएगी।
8. किसान पुरस्कार कार्यक्रम के लिए निर्धारित शर्तो को पूरा करने पर ही पुरस्कार देय होगा।
9. कार्यक्रम के संबंध में विशेष जानकारी के लिए किसान भाई/बहन अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला पशुपालन पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट **www.prdbihar.gov.in** पर देखा जा सकता है।

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

PR. No. 9067 (Agriculture) D 2017-18

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे, कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह–सवेरे।